प्रकरण संख्या 38/2019 प्रकाश बनाम राजमल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2020	स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करने का निवेदन किया एवं बताया कि अपीलान्ट ने गलत तथ्यों की जानकारी देकर स्थगन प्राप्त कर लिया है एवं इसके बाद रेस्पोन्डेन्ट की तामिल तलबी भी नहीं करवा रहा है, न ही प्रोसेस प्रस्तुत किया है तथा स्थगन की आड़ में निर्माण कार्य करवा रहा है। अतः स्थगन आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि आप न्यायालय द्वारा स्थगन सही दिया गया है, जिससे यथावत रखा जावे। हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.10.2019 को अपीलान्ट के पक्ष में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया जाकर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे एवं उक्त स्थगन आदेश में रेस्पोन्डेन्टगण के रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने हेतु अपीलान्ट को आदेशित किया गया था, किन्तु अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन प्रस्तुत नहीं कर बार-बार अवसर लिया जाकर स्थगन बढ़वाया जाता है एवं स्थगन की आड़ में उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से स्पष्ट होता है, जबकि स्थगन आदेश में मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। प्रकरण में स्पष्ट है कि स्वयं अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की पालना नहीं की जा रही है, जिससे स्थगन आदेश को आगे जारी रखा जाना हम उचित नहीं पाते हैं। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.10.2019 स्थगित किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 30.03.2020 को पेश हो। (एम.एल. चौहान) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:01 IST
Reason: SelfAttested